संख्या-75/2022/1547/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई 2022

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आय-व्ययक में राजस्व मद में प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष राज्यांश से संचालित योजनाओं हेतु अवशेष 08 माह के लिये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-89-ज0जा0वि0/लेखा/2022-23, दिनांक 21.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 4215.02 लाख के सापेक्ष **अवशेष 08 माह हेतु रूपये 2622.39 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ बाइस लाख उन्तालिस हजार मात्र)** की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2022-23 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या- /2022/1547(1)/26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी निदेशालय जनजाति विकास उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या–75/2022/26–3–2022, दिनांक–29 जूलाई 2022 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण (जनजाति कल्याण)

(धनराशि लाख रूपये में)

मुख्य लेखाशीर्षक/लघुशीर्षक योजना का नाम	आय–व्ययक प्राविधान 2022–23	04 माहों हेतु शासन से स्वीकृति	अवशेष धनराशि	अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5
1–राजस्व व्यय–				
मुख्य लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–				
02– अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–				
796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
03–मुख्यालय अधिष्ठान				
01–वेतन	190.96	63.65	127.31	127.31
02–मजदूरी	2.00	0.67	1.33	1.33
03–महगाई भत्ता	70.66	23.55	47.11	47.11
04–यात्रा व्यय	1.50	0.49	1.01	1.01
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.17	0.33	0.33
06–अन्य भत्ते	0.50	0.17	0.33	0.33
07–मानदेय	0.10	0.03	0.07	0.07
08–कार्यालय व्यय	5.00	1.67	3.33	3.33
09–विद्युत देय	10.00	3.30	6.70	6.70
10–जलकर/जल प्रभार	1.00	0.30	0.70	0.70
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.00	1.00	2.00	2.00
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	6.00	2.00	4.00	4.00
13–टेलीफोन पर व्यय	1.20	0.40	0.80	0.80
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों का क्रय	0.00	0.00	0.00	0.00
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	17.00	5.67	11.33	11.33
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	1.00	2.00	2.00
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	13.00	4.33	8.67	8.67
18–प्रकाशन	2.00	0.65	1.35	1.35
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.00	0.65	1.35	1.35
28–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.50	0.83	1.67	1.67
29–अनुरक्षण	3.00	1.00	2.00	2.00
42–अन्य व्यय	2.50	0.83	1.67	1.67
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासगिक व्यय	0.50	0.17	0.33	0.33
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.17	0.33	0.33
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	1.00	2.00	2.00
47–कॅम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00	1.67	3.33	3.33
49–चिकित्सा व्यय	5.00	1.67	3.33	3.33
51–वर्दी व्यय	0.15	0.05	0.10	0.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	15.30	5.10	10.20	10.20
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	1.67	3.33	3.33
योग–03	**371.87**	**123.86**	**248.01**	**248.01**
04– एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास				
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.30	0.43	0.87	0.87
39–औषधि तथा रसायन	3.50	1.17	2.33	2.33
42–अन्य व्यय	1.20	0.40	0.80	0.80
योग 04 :–	**6.00**	**2.00**	**4.00**	**4.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य लेखाशीर्षक/लघुशीर्षक योजना का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2022-23	04 माहों हेतु शासन से स्वीकृति	अवशेष धनराशि	अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5
05-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का कियान्वयन				
01-वेतन	15.96	5.30	10.66	10.66
03-महगाई भत्ता	5.91	1.95	3.96	3.96
04-यात्रा व्यय	0.20	0.07	0.13	0.13
06-अन्य भत्ते	0.10	0.03	0.07	0.07
08-कार्यालय व्यय	0.20	0.07	0.13	0.13
09-विद्युत देय	0.60	0.20	0.40	0.40
10-जलकर/जलप्रभार	0.10	0.03	0.07	0.07
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.25	0.08	0.17	0.17
15-गाडियो का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	0.20	0.07	0.13	0.13
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.20	0.07	0.13	0.13
18-प्रकाशन	0.20	0.07	0.13	0.13
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.03	0.07	0.07
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	39.70	0.00	39.70	39.70
42-अन्य व्यय	0.10	0.03	0.07	0.07
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	0.20	0.07	0.13	0.13
47-कॅम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.40	0.13	0.27	0.27
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	0.60	0.20	0.40	0.40
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00
योग 05 :-	**65.02**	**8.40**	**56.62**	**56.62**
06-जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठन				
01-वेतन	16.43	5.48	10.95	10.95
03-महगाई भत्ता	6.08	2.03	4.05	4.05
04-यात्रा व्यय	0.20	0.07	0.13	0.13
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.07	0.13	0.13
06-अन्य भत्ते	0.10	0.03	0.07	0.07
08-कार्यालय व्यय	0.50	0.17	0.33	0.33
09-विद्युत देय	0.60	0.20	0.40	0.40
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.40	0.13	0.27	0.27
12-कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	0.25	0.08	0.17	0.17
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.25	0.08	0.17	0.17
18-प्रकाशन	0.70	0.23	0.47	0.47
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.08	0.17	0.17
49-चिकित्सा व्यय	0.50	0.17	0.33	0.33
51-वर्दी व्यय	0.10	0.03	0.07	0.07
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	0.70	0.23	0.47	0.47
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00
योग 06 :-	**27.26**	**9.08**	**18.18**	**18.18**
07-प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, के लिये सहायक अनुदान				
0701-कृषि/बागवानी हेतु अनुदान				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	5.00	0.00	0.00	0.00
0702-कुटीर उद्योग हेतु अनुदान				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	5.00	0.00	0.00	0.00
योग-07 :-	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08-अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास				
01-वेतन	11.23	3.70	7.53	7.53
02-मजदूरी	1.75	0.55	1.20	1.20
03-महगाई भत्ता	4.16	1.35	2.81	2.81

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य लेखाशीर्षक/लघुशीर्षक योजना का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2022-23	04 माहों हेतु शासन से स्वीकृति	अवशेष धनराशि	अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5
04-यात्रा व्यय	0.10	0.03	0.07	0.07
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.07	0.13	0.13
06-अन्य भत्ते	0.10	0.03	0.07	0.07
08-कार्यालय व्यय	0.25	0.08	0.17	0.17
09-विद्युत देय	1.50	0.50	1.00	1.00
10-जलकर/जल प्रभार	0.10	0.00	0.10	0.10
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.25	0.08	0.17	0.17
12-कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	0.40	0.13	0.27	0.27
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	0.60	0.20	0.40	0.40
29-अनुरक्षण	0.80	0.27	0.53	0.53
41-भोजन व्यय	1.20	0.40	0.80	0.80
42-अन्य व्यय	0.10	0.03	0.07	0.07
43-सामग्री और सम्पूर्ति	0.80	0.27	0.53	0.53
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.02	0.03	0.03
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.03	0.07	0.07
49-चिकित्सा व्यय	0.20	0.07	0.13	0.13
51-वर्दी व्यय	0.05	0.02	0.03	0.03
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	0.40	0.13	0.27	0.27
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00	8.30	16.70	16.70
योग-08	49.34	16.26	33.08	33.08
09-अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा				
01-वेतन	399.74	133.25	266.49	266.49
02-मजदूरी	15.50	5.15	10.35	10.35
03-महंगाई भत्ता	147.90	49.30	98.60	98.60
04-यात्रा व्यय	5.50	1.80	3.70	3.70
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	0.30	0.70	0.70
06-अन्य भत्ते	1.50	0.50	1.00	1.00
08-कार्यालय व्यय	25.00	8.30	16.70	16.70
09-विद्युत देय	25.00	8.30	16.70	16.70
10-जलकर/जल प्रभार	0.50	0.15	0.35	0.35
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4.50	1.50	3.00	3.00
12-कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	6.00	2.00	4.00	4.00
13-टेलीफोन पर व्यय	1.50	0.50	1.00	1.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए व्यय	9.00	3.00	6.00	6.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3.00	1.00	2.00	2.00
29-अनुरक्षण	9.00	3.00	6.00	6.00
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	321.32	107.10	214.22	214.22
39-औषधि तथा रसायन	4.50	1.50	3.00	3.00
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	4.50	1.50	3.00	3.00
41-भोजन व्यय	500.00	166.65	333.35	333.35
42-अन्य व्यय	2.50	0.80	1.70	1.70
43-सामग्री और सम्पूर्ति	108.00	36.00	72.00	72.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक भुगतान	0.30	0.10	0.20	0.20
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.10	0.20	0.20
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	1.00	2.00	2.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.00	1.65	3.35	3.35
49-चिकित्सा व्यय	5.00	1.65	3.35	3.35
51-वर्दी व्यय	0.50	0.15	0.35	0.35
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00	0.00
55-मकान किराया भत्ता	10.00	3.30	6.70	6.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य लेखाशीर्षक/लघुशीर्षक योजना का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2022-23	04 माहों हेतु शासन से स्वीकृति	अवशेष धनराशि	अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	145.00	48.30	96.70	96.70
योग 09 :-	**1764.56**	**587.85**	**1176.71**	**1176.71**
10-अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु अनुदान				
20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)	5.00	1.65	3.35	3.35
11-अनु0जनजातियों के कक्षा 1 से 10 के विद्यालयों को छात्रवृत्ति एंव अनावर्तीय सहायता				
1101-कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता				
21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	110.00	36.60	73.40	73.40
12-अनु0जनजातियों की छात्राओं हेतु यूनीफार्म एंव बाइसिकिल अनुदान	100.00	33.30	66.70	66.70
13-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनु0जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति				
21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	1000.00	333.30	666.70	666.70
14-अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विस्तार				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	124.52	41.50	83.02	83.02
15-अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	25.00	0.00	25.00	25.00
17-जनजाति उपयोजना				
1701-एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	20.00	6.60	13.40	13.40
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	214.21	71.40	142.81	28.59
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	40.00	13.30	26.70	26.70
योग 1701 :-	**274.21**	**91.30**	**182.91**	**68.69**
02-जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम थारू विकास परियोजना गोण्डा				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	8.00	2.00	6.00	6.00
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	69.32	23.10	46.22	46.22
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	19.00	6.30	12.70	12.70
योग 02 :-	**96.32**	**31.40**	**64.92**	**64.92**
03-अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3.00	1.00	2.00	2.00
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	14.28	4.70	9.58	9.58
योग 03 :-	**17.28**	**5.70**	**11.58**	**11.58**
04-बिखरी आबादी वाले जनजातियों का विकास				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	1.50	0.50	1.00	1.00
31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	32.13	10.70	21.43	21.43
योग 04 :-	**33.63**	**11.20**	**22.43**	**22.43**
योग 17 :-	**421.44**	**139.60**	**281.84**	**167.62**
18-अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता				
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**0.00**	**33.20**	**-33.20**	**0.00**
महायोग :- राजस्व	**4080.01**	**1366.60**	**2736.61**	**2622.39**

(रूपये छब्बीस करोड़ बाइस लाख उन्तालीस हजार मात्र)

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।